रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04122025-268230
CG-DL-E-04122025-268230

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5411] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 4, 2025/अग्रहायण 13, 1947
No. 5411] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 4, 2025/AGRAHAYANA 13, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5599(अ).— केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (इसमें इसके पश्चात "आयकर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "जालंधर विकास प्राधिकरण" (पैन: AAALC0454G) (इसमें इसके पश्चात "निर्धारिती" के रूप में संदर्भित) जो, पंजाब क्षेत्रीय तथा नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1995 (वर्ष 1995 का पंजाब अधिनियम संख्या 11) के तहत गठित एक प्राधिकरण है, को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती पंजाब क्षेत्रीय तथा नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1995 (वर्ष 1995 का पंजाब अधिनियम संख्या 11) के तहत गठित एक प्राधिकरण बना रहेगा, जिसका आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (क) में निर्दिष्ट एक या एक से अधिक प्रयोजन हैं।

[अधिसूचना सं. 167 /2025/फा. सं. 300195/18/2024-आईटीए-I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।